संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का अवदान

[1]डॉ. शैलेन्द्र मौर्य.

शोध सारांश

डॉ. अम्बेडकर केवल भारतीय संविधान के निर्माता एवं करोड़ों शोषित पीड़ित भारतीयों के मसीहा ही नहल्ल थे। वे अग्रणी समाज सुधारक, श्रेष्ठ विचारक, तत्त्वऋृचतक, अर्थशास्त्री, शिक्षाशास्त्री, पत्रकार, धर्म के ज्ञाता, कानून एवं नीति निर्माता और महान् राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने समाज और राष्ट्रजीवन के हर पहलू पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। सामाजिक समता और बंधुता के आधार पर एक नूतन भारत के निर्माण की नल्लव रखी। अम्बेडकर एक महान् दार्शनिक, शिक्षाविद्, कानूनवेत्ता, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और सामाजिक क्रांति के प्रणेता थे। उन्होंने जीवनपर्यंत सामाजिक-आणथक असमानता, अन्याय, अत्याचार तथा शोषण के खिलाफ संघर्ष किया तथा शोषितों, वंचितों के उत्थान एवं समतामूलक समाज की स्थापना के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का अतुलनीय अवदान रहा। ड्राऋृफ्टग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में विधि मंत्री और इससे भी ज्यादा देश का संविधान लिखने के लिए बनाई गई ड्राऋृफ्टग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में डॉ. अम्बेडकर को अधिक जाना जाता है लेकिन डॉ. अम्बेडकर का भारतीय समाज को योगदान बहुआयामी हैं।

मूल शब्द : संविधान, संविधान-निर्माता, संविधान निर्मात्री सभा, प्रारूप समिति

Corresponding author

[1]**सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सिरोही, राज**

प्रस्तावना

प्रत्येक मानवीय समाज के व्यस्थित जीवन की सफलता के लिये नियम-कानूनों की एक संहिता की आवश्यकता होती है जिससे मानवीय व्यवहार को नियमित एवं अनुशासित किया जा सके, ऐसी संहिता को संविधान के नाम से

सम्बोधित किया जाता है। उसी प्रकार किसी भी स्वाधीन देश के लिये एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण महत्त्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी संविधान के माध्यम से न केवल शासन की शक्तियों को नियमित एवं नियंत्रित कर अनुशासित किया जाता है बल्कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय और उससे जुड़े मूल्यों एवं आदर्शों को भी अक्षुण बनाया जा सके ताकि राष्ट्र और समाज अपने नागरिकों सहित न केवल विकास के संवाहक बने बल्कि अपने अधिकारों को भी सुरक्षित बनाये रख सकें। इसी संदर्भ में 15 अगस्त, 1947 को भारत की स्वतंत्रता के उपरांत 26 जनवरी, 1950 में संविधान लागू किया गया। स्वाधीनता और संविधान की इन सौगातों के पीछे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और संविधान निर्माताओं का कठोर परिश्रम निहित है।

हम हमारे संविधान निर्माताओं के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे, जिन्होंने हमें जन आकांक्षाओं पर आधारित एक ऐसा अनुपम संविधान दिया, जिसकी गणना विश्व के श्रेष्ठ संविधानों में की जाती हैं। हमारा संविधान उन श्रेष्ठ मनीषियों द्वारा निर्मित किया गया जो न केवल अपने युग के जनमानस का प्रतिनिधित्त्व करते थे बल्कि वे अद्वितीय योग्यता के धनी भी थे। इनमें अनेकों कानूनविद्, संविधान विशेषज्ञ, अग्रिम कोटि के समाजसेवी और विद्वान, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, कुशल पत्रकार और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ आदि थे, जिन्होंनें विपरीत परिस्थितियों एवं मत विभिन्नता के पश्चात् भी राष्ट्रीय हित में समन्वयकारी एवं संतुलित निर्णयों के द्वारा अपने युग की विचारधाराओं के अनुकूल एक श्रेष्ठ संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माताओं में एक प्रमुख नाम डॉ. अम्बेडकर का है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिन्तन भी उनके जीवन के कटु अनुभवों की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। यह कहा जा सकता है कि ड,. साहब का साहित्य सृजन के लिये प्रेरणा एवं अपने जीवन एवं विचारों से प्राप्त हुई। यदि वे महार जाति के अछूत परिवार में पैदा नहल्ल होते और उनको छुआछूत का कटु अनुभव नहल्ल हुआ तो सम्भवतः उनकी लेखनी कुछ और ही होती। स्पष्टतः डॉ. साहेब की रचनाओं के प्रेरणा श्रोत वे स्वंय और उनके चारों ओर की सामाजिक परिस्थितियों रही है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का चिन्तन पटल बहुत व्यापक था। जिसमें विधि एवं राजनीतिक विचारों के साथ सामाजिक, आर्थिक, दार्शनिक इत्यादि विचारों को समाहित किया गया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कुशल राजनीतिज्ञ,

प्रतिबद्ध समाज सुधारक और विख्यात अधिवक्ता ही नही वरन् एक महान चिन्तक और लेखक भी थे। जिन्होंने अपने विस्तृत अध्ययन, सटिक विश्लेषण और संधर्षपूर्ण अनुभव के आधार पर मानवाधिकार और सामाजिक न्याय के संदर्भ में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का अतुलनीय अवदान रहा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में संविधान निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भुमिका रही।

प्रारूप समिति

15 अगस्त, 1947 को भारत पूरी तरह से आजाद हो गया और केबीनेट मिशन योजनानुसार संविधान सभा भी गठित हो गई थी। परन्तु भारत जैसे विशाल और विविधता वाले राष्ट्र में संविधान निर्माण का कार्य निश्चित रूप से एक दुष्कर कार्य था। अतः संविधान निर्माण को सुगम बनाने के लिए भिन्न-भिन्न हितों, मतों पर विचार-विमर्श करने के लिए अनेकों महत्त्वपूर्ण समितियों का गठन किया गया, जिनमें मुख्य समितियॉ निम्नलिखित थी-

समितियाँ		अध्यक्ष
1 प्रक्रिया नियम समिति	-	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद
2 संघ संविधान समिति	-	जवाहर लाल नेहरू
3 अल्पसंख्यक उपसमिति	-	एच. सी. मुखर्जी
4 मूलाधिकार उपसमिति	-	जे. बी. कृपलानी
5 प्रान्तीय विधान समिति	-	सरदार वल्लभ भाई पटेल
6 झण्ड़ा समिति	-	जे. बी. कृपलानी
7 प्रारूप समिति	-	डॉ. भीमराव अम्बेडकर

प्रारूप समिति का गठन – 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के एक संकल्प द्वारा गठित प्रारूप समिति एक महत्त्वपूर्ण और निर्णायक समिति थी, जिसमें चेयरमैन सहित कुल 7 सदस्य थे-

1 भीम राव अम्बेडकर (चेयरमैन)

2 एन. गोपालस्वामी अय्यंगर

3 अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर

4 के. एम. मुंशी

5 सैय्यद मौहम्मद सादुल्ला

6 बी. एल. मित्र (मृत्यु)

7 डी. पी. खेतान (मृत्यु)

बी.एल. मित्र की मृत्यु के पश्चात् एन. माधवराव एवं डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात् टी. टी. कृष्णामाचारी प्रारूप समिति के सदस्य बने।

प्रारूप समिति/ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका

इसके अलावा, हमें ड्राफ्टिंग कमेटी की भूमिका का भी एक बार फिर आंकलन करना चाहिए। यह कमेटी संविधान के प्रारम्भिक पाठों को लिखने के लिए जिम्मेदार नहलृ थी बल्कि उसे यह जिम्मा सौंपा गया था कि वह विभिन्न समितियों द्वारा भेजे गए अनुच्छेदों के आधार पर संविधान का लिखित पाठ तैयार करे। जिसे बाद में संविधान सभा के सामने पेश किया जाएगा। सभा के समक्ष कई मसविदे पढ़े गए और हर बार ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों-बहुधा उसके अध्यक्ष अम्बेडकर ने ही चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया था। अम्बेडकर संविधान सभा के ऐसे मुट्ठी भर सदस्यों में से थे। जो ड्राफ्टिंग कमेटी का सदस्य होने के साथ-साथ शेष 15 समितियों में

से भी एक से अधिक समितियों के सदस्य थे। लिहाजा, वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों जैसे बहुत महत्त्वपूर्ण विषयों से सम्बन्धित अनुच्छेदों पर होने वाली बहसों पर भी नजदीक से नजर रख सकते थे।

सबसे बढ़कर, ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष होने के नाते विभिन्न समितियों की ओर से सारे प्रस्ताव उनके पास ही भेजे जाते थे और यह उनकी तथा ड्राफ्टिंग कमेटी के सचिव एस. एन. मुखर्जी की जिम्मेदारी थी। जिन्हें बाद में डॉ. अम्बेडकर ने बहुत उदार शब्दों में श्रद्धांजलि दी कि वे इन अनुच्छेदों को फिर से सूत्रबद्ध करें। ऐसे बहुत सारे अनुच्छेदों को संविधान सभा के सामने पेश करने से पहले उनका स्पष्टीकरण भी आवश्यक था। ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों की बार-बार गैरहाजिरी की स्थायी समस्या के कारण ये सम्पादकीय जिम्मेदारियाँ भी मुख्य रूप से डॉ. अम्बेडकर के ही कन्धों पर ही आ जाती थी।

प्रारूप समिति का कार्य - प्रारूप समिति का कार्य संविधान सभा द्वारा समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर गठित समितियों की रिपोर्टों एवं सुझावों के साथ भारत सरकार अधिनियम 1935 का सावधानीपूर्वक परीक्षण करते हुए आवश्यक प्रावधानों का नये संविधान में आवश्यकतानुसार समायोजित करते हुए अन्तिम रूप से भारत के लिए एक संविधान को लिपिबद्ध करना था। प्रारूप समिति ने अपने गठन के पश्चात् निश्चित किया कि वह प्रारूप संविधान का निर्माण कर 21 फरवरी, 1948 तक सौंप देगी। उसने अपने गठन की प्रथम बैठक 30 अगस्त, 1947 से 13 फरवरी, 1947 तक कुल 141 दिनों की बैठकों में 315 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों वाला प्रारूप संविधान तैयार कर 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को सौंपा।" संविधान सभा की प्रथम बैठक दिसम्बर, 1946 को हुई और अन्तिम बैठक 24 जनवरी, 1950 को। इस अवधि के बीच संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन सम्पन्न हुए।

प्रारूप संविधान का निर्माण

प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, 1947 को संविधान सभा के एक संकल्प के माध्यम से हुआ। इस सात सदस्यीय समिति का अध्यक्ष सर्वसम्मति से डॉ. बी. आर. अम्बेडकर को चुना गया था। इस समिति ने बी.एन.राव द्वारा संविधान के तैयार प्रारूप पर विचार करते हुए, संविधान सभा द्वारा गठित भिन्न-भिन्न समितियों के निर्णयों एवं भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर गम्भीर अध्ययन करते हुए तथा संविधान सभा में लिये गये निर्णयों को

संविधान के प्रारूप में शामिल करते हुए उसने कुल 141 दिनों की बैठकों में संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसमें कुल 315 धाराऐं एवं 8 अनुसूचियाँ थी। यह प्रारूप 21 फरवरी, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया। इसके पश्चात यह तैयार प्रारूप जनता के मध्य विचार विमर्श, आवश्यक संशोधन, आपत्तियाँ एवं खुलकर बहस के उद्देश्य से रखा गया। यह प्रारूप जनता के समक्ष लगभग 8 माह रहा और लगातार आपत्तियाँ एवं संशोधन आते रहे। इन आपत्तियों एवं सुझावों पर पुनर्विचार करने के लिए एक विशेष समिति की नियुक्ति की गई जिसने उसका पुनर्परीक्षण किया एवं उसकी अनुशंसाओं के पश्चात प्रारूप समिति ने संविधान का पुनर्मुद्रित संस्करण प्रकाशित कर 26 अक्टूबर, 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया।

21 फरवरी, 1948 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ. अम्बेडकर ने प्रारूप संविधान को संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया जिसके पश्चात प्रारूप-संविधान 8 माह तक जनता के सम्मुख सुझावों के लिये रहा ताकि संविधान सभा के सभी सदस्यगण, देश के बुद्धिजीवी एवं देश के सभी प्रमुख संगठन अपने-अपने सुझाव और संशोधन रख सके। इसके परिणामस्वरूप लगभग 7,635 संशोधन आये, जिनमें से 2,473 संशोधन विचारार्थ स्वीकार किये गये। इसके पश्चात् प्रारूप संविधान पर विचार विमर्श हेतु 3 वाचन हुए। 4 नवम्बर, 1948 से 9 नवम्बर, 1948 तक जिसमें संक्षिप्त विचार विमर्श तथा डॉ. अम्बेडकर का सारगर्भित भाषण हुआ। 15 नवम्बर, 1948 से 17 नवम्बर, 1949 तक प्रारूप संविधान पर विस्तृत विचार-विमर्श हुआ तथा 17 नवम्बर, 1949 से 26 नवम्बर, 1949 तक यह संविधान पारित हेतु औपचारिक वाचन था। संविधान का तीसरा वाचन महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इस वाचन में भारत का संविधान अंतिम रूप से पारित हुआ। इसके पश्चात् भारत एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में सामने आया। यद्यपि संविधान 26 नवम्बर, 1949 को आंशिक रूप से लागू हुआ जिसमें 15 अनुच्छेद लागू हो गये थे, परन्तु सम्पूर्ण संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।

संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका का विश्लेषण

एक अस्पृश्य व्यक्ति राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण प्रभावशाली पदों तक जा पहुँचा, इस बात पर तथाकथित ऊँची जातियों के हिन्दुओं की कठोर आलोचना का शिकार होना स्वाभाविक था। यहाँ तक कि कुछ ने तो बाद के दशकों में यह दावा तक कर डाला कि संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर की कोई उल्लेखनीय भूमिका थी ही

नहलृ। ड्राऋफ्टग कमेटी के सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति की बदौलत उन्हें मनुस्मृति के लेखक के नाम की नकल करते हुए 'नये मनु' की उपाधि भी दी जाने लगी थी। यह एक दिलचस्प विडंबना थी क्योंकि 1927 में डॉ. अम्बेडकर ने ही महाड़ सत्याग्रह के दौरान मनुस्मृति की प्रतियों की होली जलाई थी। डॉ. अम्बेडकर पर अभियोग लगाते हुए अरुण शौरी ने उन्हें 'फजऍ मनु' कहा है। उनका कहना है कि डॉ. अम्बेडकर संविधान के पाठ को प्रभावित करने की स्थिति में थे ही नहलृ क्योंकि ड्राऋफ्टग कमेटी तो अलग-अलग विषयों पर बनाई गई उपसमितियों द्वारा तैयार किए गए अनुच्छेदों को अन्तिम रूप देने के लिए ही जिम्मेदार थी और इन सारे सुझावों पर भी बाद में प्लेनरी सत्रों में विस्तार से चर्चा होती थी। इसके अलावा शौरी के अनुसार डॉ. अम्बेडकर तो वैसे भी कांग्रेस पाटऍ के बाहर थे जबकि प्रत्येक अनुच्छेद के महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश पाटऍ के भीतरी दायरों में ही तय होते थे। शौरी की आखिरी दलील यह है कि विभिन्न उप समितियों, ड्राऋफ्टग कमेटी और प्लेनरी सत्र के दौरान होने वाली चर्चा में डॉ. अम्बेडकर असंख्य अवसरों पर अल्पमत में पहुँच जाते थे इसलिए यह दावा निराधार हो जाता है कि उन्होंने ही संविधान का मसविदा लिखा होगा।

किस्तोफ जाफलो ने अपनी पुस्तक ''डॉ. अम्बेडकर एक जीवनी'' में लिखा कि ''मेरा मानना है कि शौरी का यह निष्कर्ष संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका को कम करके आंकता है। बेशक, यदा-कदा उन्होंने इस बारे में शिकवा भी किया कि किस तरह कांग्रेस के नेता कई अनुच्छेदों को तुरत-फुरत पारित करने के लिए पहले ही आपस में सलाह-मशवरा कर लेते थे, मगर फिर भी यह कहना तो बिलकुल सही नहलृ होगा कि उन्होंने सिर्फ औरों के द्वारा तय कर लिए गए अनुच्छेदों और हिस्सों को बस एक सूत्र में पिरो भर दिया था।''

शौरी की व्याख्याओं पर सवाल उठाते हुए एच. एस. वर्मा और नीता वर्मा ने दलील दी है कि संविधान सभा द्वारा उनका चयन ही उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के बूते पर किया गया था। उन्होंने दिखाया है कि ड्राऋफ्टग कमेटी के मुखिया के रूप में डॉ. अम्बेडकर का निर्वाचन 1946 में संविधान सभा में उनके पहले हस्तक्षेप का नतीजा था। जब नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की तो एक अन्य सदस्य जयकर ने सुझाव दिया था कि ऐसे किसी प्रस्ताव पर तब तक मतदान नहलृ कराया जा सकता, जब तक हम इस बात पर ध्यान नहलृ देंगे कि मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि - जो अभी भी पाकिस्तान के गठन और भारत के प्रति निष्ठा के बीच झूल रहे थे - संविधान सभा में शामिल होते हैं या नहलृ। इस मौके पर डॉ. अम्बेडकर ने

बहुत नपे-तुले शब्दों में भाषण दिया और बीच का रास्ता निकालने का सुझाव दिया था। उनके भाषण में जो सन्तुलन और क़ानून की गहरी पकड़ दिखाई देती थी। उससे कांग्रेस के बहुत सारे नेता प्रभावित हुए बिना नहल्ह रह सकते थे। एच. एस. वर्मा और नीता वर्मा का मानना है कि डॉ. अम्बेडकर को ड्राक्रृफ्टग कमेटी की अध्यक्षता विशुद्ध रूप से उनकी क्षमताओं के दम पर ही मिली थी।

डॉ. डी. आर. जाटव ने भी इस संदर्भ में तथ्यात्मक आधार पर कहा कि "संविधान सभा की **विभिन्न** उपसमितियों में डॉ. अम्बेडकर के द्वारा निभाई गई भूमिका को बहुत उपयोगी माना। उनकी संवैधानिक दृष्टि एवं बौद्विकता से कांग्रेसी दिग्गज लम्बे समय से प्रभावित थे और उन्हें लगता था कि अम्बेडकर की अनुपस्थिति संविधान को स्थाई स्वरूप प्रदान नहीं कर सकती।" एक और विद्वान श्याम सिंह ने अपनी पुस्तक "संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर" में उल्लेख किया है कि "डॉ. अम्बेडकर संविधान सभा में जब प्रथम बार आये तब अनेकों उपसमितियों में उन्होनें महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय एवं सराहनीय भूमिका निभाई जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास हो गया कि अम्बेडकर की मूल्यवान सेवाओं के बिना संवैधानिक स्वतंत्रता और स्थिरता का कार्य सरल नहीं होगा। अतः उनकी बौद्धिक और कानूनी प्रतिभा की आवश्यकता के कारण ही कांग्रेस को उन्हें संविधान सभा में मजबूरीवश लाना पड़ा है।" उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि अम्बेडकर की बौद्विक प्रतिभा और कानूनी एवं संवैधानिक ज्ञान के प्रति किसी को भी कोई संदेह नहीं था न तो मित्रों को और न ही कांग्रेस को। इसके अतिरिक्त अम्बेडकर की राष्ट्रभक्ति भी किसी भी आधार पर किसी भी बड़े अटूट राष्ट्रभक्ति से कम नहीं थी। यदि अम्बेडकर के प्रति विरोधियों का विरोध था तो केवल उ ेश्यों की प्राथमिकता और उनकी निड़र और स्पष्ट एवं कठोर वाणी का।

सम्भवतः कांग्रेस को उनकी कठोर वाणी भी उनकी विद्वता और कानूनी मस्तिष्क के समक्ष बहुत बौनी सिद्ध हुई क्योंकि कांग्रेस को संविधान निर्माण का कार्य अम्बेडकर के बिना पूर्ण होता दिखाई नहीं दिया। कांग्रेस को राष्ट्र निर्माण में उनकी सेवाओं की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त डॉ अम्बेडकर ने अपनी बौद्धिक और कानूनी मस्तिष्क को अभी तक राष्ट्र को समर्पित किया, उसनें भी सम्पूर्ण संविधान सभा का हृदय परिर्वतन किया। कहा जा सकता है अम्बेडकर की बौद्धिक एवं कानूनी प्रतिभा एवं संविधान-निर्माण हेतु संवैधानिक विशेषज्ञ की

आवश्यकता जैसे मिले जुले कारणों से कांग्रेस अम्बेडकर को संविधान सभा में लाई। कुल मिलाकर जो भी हो अम्बेडकर का संविधान-सभा में दूसरी बार उपस्थिति होना राष्ट्रीय हित हेतु उचित ही हुआ क्योंकि विदेशी संविधान विशेषज्ञ की सेवा से भारतीय विद्वता और योग्यता की शर्मशार हार भी होती।

निष्कर्ष

डॉ. अम्बेडकर का भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है और संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर की भूमिका को कम करके नही आंका जा सकता है। ड्राक्रफ्टग कमेटी के सदस्यों की बार-बार गैरहाजिरी की स्थायी समस्या के कारण अन्य सदस्यों की जिम्मेदारियाँ भी मुख्य रूप से डॉ. अम्बेडकर के ही कन्धों पर ही आ जाती थल्र। यह कहना अतिश्योक्ति नही होगा कि संविधान को लिखने का मुख्य दायित्व ड,. अम्बेडकर पर ही था। इस बात को स्पष्ट करते हुए ड्राक्रफ्टग कमेटी के एक सदस्य टी.टी.ंष्णमाचारी ने नवम्बर 1948 में संविधान सभा के सामने बताया था ''सम्भवतः सदन इस बात से अवगत है कि आपने (ड्राक्रफ्टग कमेटी में) जिन सात सदस्यों को नामांकित किया है। उनमें से एक ने सदन से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनकी जगह कोई अन्य सदस्य आ चुके हैं। एक सदस्य की इस बीच मृत्यु हो चुकी है और उनकी जगह कोई नए सदस्य नहल्र आए हैं। एक सदस्य अमेरिका में थे और उनका स्थान नहल्र भरा गया है। एक अन्य व्यक्ति सरकारी मामलों में उलझे हुए थे और वह अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह नहल्र कर रहे थे। एक-दो व्यक्ति दिल्ली से बहुत दूर थे और सम्भवतः स्वास्थ्य की वजहों से कमेटी की कार्रवाइयों में हिस्सा नहल्र ले पाए। कुल मिला कर यही हुआ है कि इस संविधान को लिखने का भार ड,. अम्बेडकर के ऊपर ही आ पड़ा है। मुझे इस बात पर कोई सन्देह नहल्र है कि हम सबको उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने इस ज़िम्मेदारी को इतने सराहनीय ढंग से अंजाम दिया है।'' उपरोक्त तथ्यों के विश्लेषण से एक बात तो पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि डॉ. अम्बेडकर की बौद्विक प्रतिभा और कानूनी एवं संवैधानिक ज्ञान के प्रति किसी को भी कोई संदेह नहीं था न तो मित्रों को और न ही कांग्रेस को। उनकी संवैधानिक दृष्टि एवं बौद्विकता से कांग्रेसी दिग्गज लम्बे समय से प्रभावित थे और उन्हें लगता था कि अम्बेडकर की अनुपस्थिति संविधान को स्थाई स्वरूप प्रदान नहीं कर सकती।" कांग्रेसी नेताओं को यह विश्वास हो गया कि अम्बेडकर की मूल्यवान सेवाओं के बिना संवैधानिक स्वतंत्रता और स्थिरता का कार्य सरल नहीं होगा। अतः उनकी बौद्धिक और कानूनी प्रतिभा की आवश्यकता के

कारण ही कांग्रेस को उन्हें संविधान सभा में मजबूरीवश लाना पड़ा है।" संविधान सभा द्वारा उनका चयन ही उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के बूते पर किया गया था। डॉ. अम्बेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता विशुद्ध रूप से उनकी क्षमताओं के दम पर ही मिली थी।

सन्दर्भ -ग्रन्थ

1- किशोर मकवाना (संपादन), ड,. अम्बेडकर आयाम दर्शन, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2019

2- विवेकानन्द तिवारी, अछूत मतवाद के सच गांधी और अंबेडकर, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2019

3- डॉ. नरेंद्र जाधव, डॉ. अम्बेडकर राजनीति, धर्म और संविधान विचार, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2017

4- प्रवेश कुमार, ड,. अंबेडकर के सामाजिक-आणथक विचारों की प्रासंगिकता, ठ त ाउइमकांत ीपदकपण्दमे्18ण्बवउए ैवनतबमरू छमे्18भ्पदकप स्ंज नचकंजमक वद रू ाचतपस 14ए 2021 10 रू 48 ाड

5- बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय खण्ड (1), अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, जुलाई 2013

6- बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय खण्ड (2), अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, जुलाई 2013

7- बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय खण्ड (3), अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, जुलाई 2013

8- बाबा साहब डॉ. अम्बेडकर, सम्पूर्ण वाड्मय खण्ड (18), अम्बेडकर प्रतिष्ठान, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, जुलाई 2013

9- मून, बसंत, ''डॉ. बाबा साहब आम्बेडकर,'' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत दिल्ली, पांचवा संस्करण, 2014

10- दास, भगवान, ''डॉ. अम्बेडकर के भाषण, गौतम बुक सेन्टर, दिल्ली, 2010

11- कमल, के.एल., ''संविधान की पुनर्संरचना,'' राजस्थान साहित्य हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 2007

12- रत्तु, नानक चंद, ''डॉ. अम्बेडकर के अंतिम कुछ वर्ष'' सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2011

13- सिंह, श्याम, ''संविधान सभा में डॉ. अम्बेडकर,'' भारतीय बौद्ध महासभा, दिल्ली, 2001

14- हरदान हर्ष, भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विचार-सन्देश, ऐश्वर्य प्रकाशन, जयपुर, 1993

15- लिमये, मधु, ''बाबा साहब अम्बेडकर एक चिंतन,'' आत्मा राम एण्ड संस, दिल्ली, 2012

16- बाली, एल.आर. ''डॉ. अम्बेडकर और भारतीय संविधान'' भीम पब्लिकेशन्स, जालंधर, 2011

17- डॉ. राजेन्द्र कुमार गोठवाल, भारतीय संविधान निर्माण में डॉ. अम्बेडकर का योगदान, लिटरेरी सर्किल, जयपुर, 2022

18- डॉ. विमल कुमार महावर, जॉन रॉल्स एवं भीमराव अम्बेडकर के सामाजिक न्याय की अवधारणा, मौर्य पब्लिकेशंस एंड डिसट्रीब्यूटर्स, जयपुर, 2023

19- डॉ. शैलेन्द्र मौर्य, डॉ. अम्बेडकर का लोकतांत्रिक चिंतन एवं वर्तमान भारत (प्रो. कान्ता कटारिया-प्रो. जनक सिंह मीना, डॉ. अम्बेडकर का राजनीतिक दर्शन, हंस प्रकाशन, न्यू देहली, 2022)